न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(के0के0 शर्मा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 87/2017
प्रविष्टि दिनांक 03.8.2017

मुकेश पुत्र श्री किशनलाल मीणा आयु 32 वर्ष निवासी बनेडिया कालोनी थांवला तह0 देवली जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रर्वतन निरीक्षक देवली जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद आदेश दिनांक 17—4—2017 जिला रसद अधिकारी टोंक प्रकरण सं0 104/2014 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम मुकेश मीणा

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामभजन मीणा, पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 16—12—2019

जिला रसद अधिकारी टोंक ने दिनांक 17.04.2017 को अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर उसकी प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जिला रसद अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 17.04.2017 को निरस्त करने हेतु अपीलांट द्वारा यह अपील पेश है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

हमने बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का, अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना उक्त आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया है। आदेश 1976 के नियम 8 (2) यह कहता हे कि " No Order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation." अर्थात उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था। उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा नही की गई है। इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट पर जो आरोप लगाये गये है, वह आरोप साबित नही है, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है, उक्त आरोपो को साबित करने के

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

लिये जिला रसद अधिकारी टोंक ने सम्बधित प्रर्वतक निरीक्षक को साक्ष्य में तलब नहीं किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक के बयान उक्त प्रकरण में लेखबद्ध नही हुए है और ना ही प्रर्वतक निरीक्षक से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 की धारा 8 व 9 दण्डात्मक धारा है। उक्त दण्डात्मक धाराओं में अपराध को साबित करने के लिये सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिये थी, जो पेश नही की गई है। उसके उपरांत भी जिला रसद अधिकारी ने मात्र राजनैतिक दबाव के कारण अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य सूची एक स्टाक का नियमानुसार बोर्ड लगाया हुआ है ओर उसमें नियमानुसार स्टॉक की सूचना दर्शित की हुई थी, सूचना चाक से लिखी हुई थी, जो मिट गई थी एंव इसी आधार पर प्रार्थी–अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर भारी कानूनी भूल की है। मौके पर अपीलांट द्वारा जाच अधिकारी को स्टाक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर उपलब्ध करा दिये थे। अपीलांट को क्रय–विक्रय से जिस मात्रा मे गेहू मिले, उसी अनुसार अपीलांट द्वारा गेहू का वितरण उपभोक्ता धारक को किया गया है उतना ही इन्द्राज स्टाक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर में अंकित है।

अपीलांट ने अपने बयानों में इस बात पर बल दिया कि अपीलान्ट के पास जो दुकान थी, वह दुकान छोटी होने के कारण अपीलांट ने दुकान के पास ही उसके भाई का मकान राशन दुकान को उपभोक्ताओं को सुविधापूर्ण तरीके से उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किये जाने के क्रम में मकान को किराये पर ले रख था एंव इसकी सूचना भी अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली को दिनांक 19.01.2013 को मय नक्शा प्रस्तुत कर रखी थी और उक्त मकान मे ही 24.68 क्विंटल गेहू रखा हुआ था। जांच अधिकारी को भी मौके पर उक्त तथ्य से अवगत करा दिया गया था, किन्तु जांच अधिकारी जानबूझकर मकान मे रखे हुए 24.68 क्विंटल गेहू का भौतिक सत्यापन नही किया और मात्र राजनैतिक द्वेषतावश उक्त कार्यवाही कर ली गई। भौतिक सत्यापन मे कोई माल की कमी नही पायी गई है। अपीलांट को नियमानुसार छीजत नही दी गई है। उपरोक्त तथ्यो को भी नजर अन्दाज करते हुए अपीलांट के लाईसेंस को निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य किया जा रहा था। अपीलांट द्वारा नियमानुसार अपना स्टाक एंव अन्य सूचनाऐं सहित मासिक रिर्टन सक्षम अधिकारी कि समक्ष प्रस्तुत कर रहा था उसके उपरांत भी बिना किसी कारण उक्त आदेश पारित कर अपीलांट का राशन की दुकान का लाईसेंस निलम्बित करने के बाद निरस्त करने का यह आदेश विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण किया गया है जो राशनकार्ड व स्टाक वेरीफिकेशन से पूर्णतया साबित है। अपीलांट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो को भंग नही किया गया है। अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण कर रहा था। जांच के दौरान रेस्पोडेण्ट द्वारा किसी भी राशन सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बयान लेखबद्ध नही किये गये है, इस कारण भी उक्त आदेश निरस्तनीय है।

अपीलांट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने पर अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की गई। प्रकरण में उक्त आदेश दिनांक 10.05.2017 को प्राप्त हुआ, उसके बाद से अपीलांट पीलिया की बीमारी से ग्रसित हो गया और अपीलांट अपना देशी ईलाज

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

कराता रहा, अपीलांट इस दौरान चलने–फिरने की स्थिति में नही था, अपीलांट के स्वास्थ्य मे सुधार होने पर आज बिना किसी देरी के उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहा है। अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नही की है ओर यदि फिर भी प्रकरण में हुए विलम्ब को क्षमा कये जाने हेतु पृथक से अपीलांट धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया एंव अपनी बहस में कथन किया कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबुत पेश करने एंव अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि पूर्वक तरीके से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप साबित होते है। उचित मूल्य दुकान के बाहर नाम, सूचना पट्ट उपभोक्ता पखवाडें सम्बधित सूचनाओं का अंकन नहीं करना, बी0पी0एल0, स्टेट बी0पी0एल0 योजनाओं के गेहू का वितरण रजिस्टर के अवलोकन से पाया कि 5 से अधिक यूनिट होने पर भी प्रति यूनिट 5 किलो से वितरण नहीं करके 2 माह का 50 किलो प्रति राशन कार्ड वितरण करना दर्ज है। प्रमाणित नक्शा दुकान पर नहीं रखना एंव सम्बधिंत अनियमित्तायें स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार की है जो उसके विरूद्ध स्थापित होती है। इसके अतिरिक्त भौतिक सत्यापन में सभी योजनाओं का 24.68 क्विंटल गैहू कम पाया जाना गंभीर अनियिमित्ता है। डीलर के इस कथन में बल नहीं है कि राशन दुकान के पास में अन्य जगह गैहू भण्डारित था यह कथन मात्र अपने बचाव में किया है। दिनांक 20–5–2014 को सील की गई उचित मूल्य दुकान को खोला जाकर विस्तृत जांच की गई जिस पर अपीलांट डीलर के दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर हैं। गैहू कम मिलने का कारण पूछने पर भी बरवक्त जांच अपीलांट ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया है। इस प्रकार यदि इतनी बडी मात्रा में गेहू अन्य जगह भण्डारित होता तो डीलर द्वारा आवश्यक रूप से जॉच अधिकारी के ध्यान में लाया जाता परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। डीलर ने अधिकृत दुकान के अलावा गोदाम लेकर गैहू का भण्डारण करने बाबत कोई स्वीकृति रसद कार्यालय से प्राप्त नहीं की एंव न ही नियमानुसार प्राधिकार पत्र में दर्ज भण्डारण स्थल के अलावा अन्य गोदाम में भण्डारण नहीं कर सकता। प्रकरण में जांच अधिकारी को भी जांच के समय डीलर के अन्यत्र भण्डारण व उपखण्ड अधिकारी को भण्डारण की सूचना बाबत अवगत नही कराया। डीलर द्वारा 5 किलोग्राम वितरण के निर्देश होने के उपरान्त भी मानक मात्रा में गेहूँ वितरण नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

प्रकरण में जवाबुल जवाब में अपीलांट के अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट की उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य सूची एंव स्टाक का नियमानुसार बोर्ड लगाया हुआ था और उसमें नियमानुसार स्टाक की सूचना दर्शित की हुई थी, सूचना चाक से लिखी हुई थी, जो मिट गई थी, अपीलांट को वितरण हेतु जिस मात्रा में गैहू मिले, उसी अनुसार अपीलांट द्वारा गैहू का वितरण उपभोक्ता धारक को किया गया है उतना ही इन्द्राज स्टाक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर में अंकित है ओर राशनकार्ड व स्टाक वेरीफिकेशन से पूर्णतया साबित है। अपीलांट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो को भंग नही किया गया है। दिनांक 19–1–2013 को उपखण्ड अधिकारी देवली के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र राशन की दुकान का अस्थाई नक्शा स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया गया था उक्त मकान मे ही 24.68 क्विंटल गेहूँ रखा हुआ था। जांच अधिकारी को भी

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

मौके पर उक्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया था, किन्तु जांच अधिकरी ने जानबूझकर मकान में रखे हुए 24.68 क्विंटल गेहू का भौतिक सत्यापन नही किया। जिला रसद अधिकारी टोंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में स्र्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा अपील में हुए अक्षम्य विलम्ब के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 के तहत शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करना उचित समझते है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जवाब में जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एंव ना ही धारा 5 के तथ्यों का खण्डन किया है। अतः न्यायहित में धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 17–4–2017 को जांच रिपोर्ट मे नियंत्रित वस्तुओ के वितरण मे की गई गंभीर अनिमियत्ताओ के कारण श्री मुकेश कुमार मीणा उचित मूल्य दुकानदार थांवला अटेच देवली की प्रतिभूति राशि 500/रू0 जप्त सरकार कर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। यद्यपि डीलर पर लगाये गये आरोपो को डीलर ने अपरोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि उचित मूल्य दुकान के बाहर नाम, सूचना पट्ट उपभोक्ता पखवाडे सम्बधिंत सूचनाओं का अंकन चाक से किया गया था जो मिट गया था। वितरण रजिस्टर में 5 युनिट से अधिक यूनिट होने की वजह से एवं गेहू क्रय विक्रय सहकारी समिति से कम आने की वजह से 50 किलो 75 किलो के हिसाब से वितरण किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19–1–2013 को उपखण्ड अधिकारी देवली के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र राशन की दुकान का अस्थाई नक्शा स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई है जो तत्समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा ''रसद Blue print के साथ प्रस्तुत करें '' मार्क कर दिनांक 19–1–2013 में हस्ताक्षर किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रार्थना पत्र में राशन की दुकान छोटी होने से दुकान का अस्थाई नक्शा स्वीकृत कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी देवली से निवेदन किया जाना अंकित कर साथ ही Blue print भी संलग्न किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने जवाब में उक्त तथ्यों का खण्डन नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय देवली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात उपखण्ड कार्यालय एंव रसद विभाग की जिम्मेदारी बनती थी कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना प्रतीत होता है।

प्रकरण में उक्तानुसार वर्णित विवेचन के मध्यनज़र अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर यह जॉच का विषय है कि निर्णय में अंकित तथ्यों एंव अपीलार्थी द्वारा यथा समय अस्थाई राशन की दुकान का प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर तत्समय कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अतः प्रकरण में विवेचित तथ्यों एंव ऑबज़रवेशन के दृष्टिगत जिला रसद अधिकारी टोंक का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–4–2017 को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक को उक्तानुसार जॉच कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 17–4–2017 निरस्त करते हुए उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(के0के0 शर्मा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.12.27 16:33:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: